

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-165/2019-20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
14.12.2019	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 18.01.2020 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 18.01.2020 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Devi</i> 14.12.19 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
18.01.2020	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक-18, दिनांक-11.01.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक-18.01.2020 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक सुरेश चन्द्र महतो, पिता-स्व० अनन्त महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग), ग्राम-टिकरचाम्पी, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी चक्रधरपुर के प्रतिवेदानुसार आवेदित आवासीय भूमि मौजा-टिकरचाम्पी, थाना नं०-75, थाना-चक्रधरपुर, खाता नं०-5, खेसरा नं०-252, 253, रकवा क्रमशः-0.03 ए०, 0.07 ए०, कुल रकवा-0.10 ए० भूमि क्रेता कोकिल महतो, पिता-स्व० गोविन्द महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग), ग्राम-जामिद, थाना-चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक सुरेश चन्द्र महतो, पिता-स्व० अनन्त महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग), ग्राम-टिकरचाम्पी, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता का थाना-चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति कुर्मी (अ.पि.वर्ग), समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि ईलाज एवं अन्य घरेलु कार्य हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा 1.59 ए० भूमि अवशेष एवं आवेदक द्वारा शपथ पत्र संख्या-123, दिनांक-18.01.2020 समर्पित कर बताया गया है कि उक्त अवशेष भूमि के अतिरिक्त ग्राम रामचन्द्रपुर में लगभग 01.00 ए० भूमि उनके पास है। उक्त भूमि बिक्री के पश्चात् कुल रकवा-02.59 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता सुरेश चन्द्र महतो, पिता-स्व० अनन्त महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग), ग्राम-टिकरचाम्पी, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम उक्त भूमि 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के प्रतिवेदानुसार आवेदित भूमि आवासीय भूमि है। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Devi</i> 18-1-20 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	